सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1936 (श०)

संख्या 421 राँची ,मंगलवार

2 सितम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

2 सितम्बर, 2014

संख्या-05/लि0से0-22-61/2012 का.- 8788 --भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 में निम्नांकित संशोधन करते हैं-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-

(क) यह नियमावली 'झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014' कहलाएगी।

(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-7 के उपनियम (4) के परन्तुक अंश ''परन्तु ऐसे निम्नवर्गीय लिपिक जिन्हें इस सेवा में स्वतः शामिल समझा गया है और नियत तारीख को उनकी उम्र पचास वर्ष से कम हो तो उनके लिए नियत तारीख से दो वर्षों के भीतर कार्मिक,

प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा यथानिर्धारित टंकण एवं कंप्यूटर दक्षता अर्जित करना अपेक्षित होगी। उक्त अवधि के भीतर ऐसी क्षमता अर्जित नहीं कर पाने वाले निम्नवर्गीय लिपिक अगली वार्षिक वेतनवृद्धि के पात्र नहीं होंगे'' को **विलोपित** किया जाता है।

3. झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-10. सम्पुष्टि में उपनियम (3) के पश्चात् निम्नांकित अंश जोड़ा जाता है:-

''10.(4) उपर्युक्त प्रावधान झारखण्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2010 के प्रवृत होने की तिथि के पश्चात इस सेवा में निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त व्यक्ति पर लागू होते हैं।''

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस0के0 शतपथी,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 421–50 ।